



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022026-270565
CG-DL-E-27022026-270565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2026/फाल्गुन 8, 1947

No. 144]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2026/PHALGUNA 8, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 150(अ).—केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 27 के उप-नियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(खक) खनन पट्टे का धारक किसी अन्य खनिज, जिसमें लघु खनिज भी शामिल है, को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 15ख के उपबंधों के अनुसार सम्यक पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर इस आशय का आदेश जारी करके ऐसे समावेशन की अनुमति देगी, जिसके उपरांत नए खनिज को खनन पट्टे में सम्मिलित माना जाएगा:

परंतु जहाँ किसी खनिज के खनन पट्टे में अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिज शामिल किया जाता है या अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिजों के खनन पट्टे में कोई खनिज शामिल किया जाता है, वहाँ खनन पट्टे का धारक ऐसे समावेशन की सूचना केंद्रीय सरकार को ऐसे समावेशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर देगा:

परंतु यह भी कि जहाँ किसी खनिज के खनन पट्टे में अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिज शामिल हैं, वहाँ राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि,—

- (क) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में पूर्वोक्त कार्य खनन पट्टे के अधीन संपूर्ण क्षेत्र में अधिनियम और इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति से किए गए हैं;
- (ख) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए अधिनियम और इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति से एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की गई है;
- (ग) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए अधिनियम और इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति से एक खनन योजना तैयार और अनुमोदित की गई है:

परंतु यह भी कि अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में दिए गए खनन पट्टे में ऐसे खनिजों को शामिल करने के लिए जो उक्त भाग क में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, उन खनिजों पर लागू नियम ही लागू होंगे जिन्हें शामिल किया जाना है, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो।

स्पष्टीकरण.— शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उस भूमि के संबंध में जिसमें खनिज सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति में निहित हैं, "राज्य सरकार" शब्द का अर्थ "पट्टाकर्ता" समझा जाएगा।"

3. मूल नियम में, नियम 66-क के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"66-ख. लघुखनिज के संबंध में दिए गए खनन पट्टे में अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिज का समावेशन. — (1) जहाँ लघुखनिज के संबंध में दिए गए खनन पट्टे का धारक पट्टा क्षेत्र में अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिजों की खोज करता है, वह ऐसी खोज की तारीख से साठ दिनों के भीतर राज्य सरकार को इसकी सूचना देगा।

(2) जहाँ लघुखनिज के संबंध में खनन पट्टा दिया गया है, वहाँ ऐसे पट्टे का धारक राज्य सरकार को पट्टे में अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों को शामिल करने के लिए आवेदन जमा कर सकेगा और राज्य सरकार, उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने पर संतुष्ट होने पर, विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर ऐसे समावेशन की अनुमति देगी।

(3) पट्टे में ऐसा कोई समावेशन राज्य सरकार द्वारा तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि—

- (क) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में पूर्वोक्त कार्य खनन पट्टे के अधीन संपूर्ण क्षेत्र में अधिनियम और इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति से किए गए हैं;
- (ख) ऐसे खनिज के संबंध में अधिनियम और इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति से एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की गई है; और
- (ग) ऐसे खनिज के संबंध में अधिनियम और इन नियमों में विनिर्दिष्ट रीति से एक खनन योजना तैयार और अनुमोदित की गई है।

(4) राज्य सरकार, उप-नियम (2) के अधीन किसी भी आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन से, आवेदक से ऐसी जानकारी, दस्तावेज या स्पष्टीकरण मांग सकती है जो वह आवश्यक समझे।

(5) राज्य सरकार, उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उप-नियम (3) में निर्दिष्ट भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और खनन योजना के साथ, निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार से परामर्श करेगी—

- (क) वह क्षेत्र जहाँ लघुखनिज के अतिरिक्त अन्य खनिज की उपस्थिति स्थापित हुई है;
- (ख) ऐसे क्षेत्र में स्थापित खनिज का प्रकार;
- (ग) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिज की मात्रा और श्रेणी;
- (घ) पट्टे में विनिर्दिष्ट लघुखनिज की मात्रा और गुणवत्ता;
- (ङ) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिजों के लिए अनुमानित संसाधनों का मूल्य;
- (च) अधिनियम की धारा 15 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित लघुखनिज के संसाधनों का अनुमानित मूल्य।

(6) उप-नियम (8) में किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट खनिजों का विस्तार, मात्रा या अनुमानित मूल्य पट्टा क्षेत्र में विद्यमान लघुखनिजों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है, वहाँ राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के साथ परामर्श के आधार पर, पट्टा धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, उप-नियम (7) के अधीन सफल आवंटन को आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे पट्टे को समाप्त कर देगी:

परंतु जहाँ इस उप-नियम के अधीन पट्टा समाप्त किया गया है, वहाँ ऐसे पट्टे का धारक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिकर की रकम और समय सीमा के भीतर उप-नियम (7) के अधीन किए गए आवंटन के सफल आवंटन से निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्:—

- (क) भूमि के प्रतिकर की रकम राज्य सरकार को प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय विलेखों या अधिग्रहण के आधार पर, ऐसी खरीद या अधिग्रहण की तारीख से आवंटन आदेश के निष्पादन की तारीख तक बारह प्रतिशत की साधारण ब्याज दर के साथ, या भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर, जो भी अधिक हो, निर्धारित की जाएगी;
- (ख) खदान के बुनियादी ढांचे के लिए प्रतिकर की रकम, जिसमें खनन कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्ति जैसे सिविल कार्य, कार्यशालाएं, अचल खनिज निष्कर्षण उपस्कर, नींव, तटबंध, फर्श, विद्युत प्रणाली, संचार प्रणाली, राहत केंद्र, साइट प्रशासनिक कार्यालय, निश्चित प्रतिष्ठान, खनिज हैंडलिंग व्यवस्था, क्रशिंग और संदेश प्रणाली, रेलवे साइडिंग, गड्डे, शाफ्ट, इनक्लाइन, भूमिगत परिवहन प्रणाली, दुलाई प्रणाली (चल उपकरणों को छोड़कर जब तक कि वे स्थायी लाभ के लिए भूमि में सन्निहित न हों), वनीकरण के लिए सीमांकित भूमि और खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए भूमि शामिल है, पिछले वित्तीय वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाए गए अवलिखित मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(7) केंद्रीय सरकार उप-नियम (6) के अधीन समाप्त किए गए पट्टे के अधीन आने वाले क्षेत्र को अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में खनिज रियायत प्रदान करने के लिए पुनः आवंटित करेगी, और ऐसे आवंटन के प्रयोजनों के लिए किसी अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल कर सकती है या आवंटित क्षेत्र को कम कर सकती है।

(8) जहाँ अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों के संसाधनों का विस्तार, मात्रा या अनुमानित मूल्य पट्टा क्षेत्र में विद्यमान लघुखनिजों की तुलना में पच्चीस प्रतिशत या उससे कम है, वहाँ राज्य सरकार, उप-नियम (3) और (5) के अनुपालन के अधीन, विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर ऐसे खनिजों को शामिल करने के अपने निर्णय को आदेश के माध्यम से सूचित करेगी।

(9) जहाँ आवेदक उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, वहाँ राज्य सरकार आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और लिखित रूप में अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवेदक को पट्टे में किसी अन्य खनिज को शामिल करने से इनकार करने के अपने आदेश के बारे में सूचित करेगी।

(10) खनन पट्टे का धारक जिसमें इस नियम के अधीन कोई खनिज शामिल किया गया है,— (क) अलग से खाते बनाए रखेगा, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र के लिए मात्रा और अन्य विवरण दिखाए जाएंगे, जिसमें शामिल हैं—

(i) वहां से प्राप्त और प्रेषित सभी खनिज, जिनमें शामिल किए गए खनिज भी शामिल हैं;

(ii) ऐसे क्षेत्र से खुदाई की गई अपशिष्ट सामग्री;

(iii) वहां नियोजित व्यक्तियों की संख्या और राष्ट्रीयता; और

(iv) खदान की पूर्ण योजनाएं;

(ख) कोयला खदान नियंत्रण नियम, 2004 के उपबंधों का पालन करेगा; और

(ग) इन नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, उन नियमों और शर्तों के अतिरिक्त जो लघुखनिज के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं या की जा सकती हैं।

(11) जहाँ अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट कोई खनिज मूल रूप से लघुखनिज के संबंध में दिए गए खनन पट्टे में शामिल किया गया है, वहाँ पट्टेदार शामिल खनिज के प्रेषण पर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त रकम का भुगतान करेगा:

परंतु जहाँ लघुखनिज के संबंध में पट्टा राज्य सरकार द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से दिया गया था और उद्धृत नीलामी प्रीमियम प्रेषित खनिज के मूल्य पर आधारित नहीं था, वहाँ पट्टेदार ऐसी अतिरिक्त रकम के बदले में इस नियम के अधीन शामिल खनिज पर देय स्वामित्व के बराबर रकम का भुगतान करेगा।

(12) इस नियम के उपबंध केवल उसी भूमि पर लागू होंगे जिसमें खनिज सरकार में निहित हैं।"

[फा. सं. पीएस1/1/2026-पीएस1]

रुपिंदर बरार, अपर सचिव

टिप्पणी:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 1398, तारीख 26 नवंबर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 323(अ), तारीख 20 मई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2026

G.S.R. 150(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 27, in sub-rule (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(ba) A holder of a mining lease may apply to the State Government for inclusion of any other mineral, including a minor mineral and the State Government upon receipt of a duly completed application in accordance with the provisions of section 15B of the Act shall, permit such inclusion within sixty days from the date of such receipt, by issuing an order to that effect, whereupon the new mineral shall be deemed to be included in the mining lease:

Provided that where a mining lease for any mineral includes the minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act or any mineral is included in the mining lease of a minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act, the holder of the mining lease shall report such inclusion to the Central Government within thirty days from the date of such inclusion:

Provided further that where a mining lease for any mineral includes the minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act, the State Government shall ensure that,-

- (A) the prospecting operations in respect of the minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act have been carried out over the entire area under the mining lease in the manner specified in the Act and these rules;
- (B) a geological report has been prepared and approved for the minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act in the manner specified in the Act and these rules;
- (C) a mining plan has been prepared and approved for the minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act in the manner specified in the Act and these rules:

Provided also that for inclusion of minerals not specified under Part A of the First Schedule of the Act in a mining lease granted in respect of minerals so specified, the rules applicable to the minerals to be included shall apply, unless otherwise expressly provided.

Explanation.-For the removal of doubts, it is hereby clarified that in respect of land in which the minerals vest in a person other than the Government, the expression “State Government” shall be construed as “lessor”.

3. In the principal rule, after rule 66-A, the following rule shall be inserted, namely:-

“66-B. Inclusion of mineral specified under Part A of the First Schedule of Act in mining lease granted in respect of a minor mineral.- (1) Where the holder of a mining lease granted in respect of a minor mineral discovers the minerals specified under Part A of the First Schedule to the Act in the leased area, shall report the discovery to the State Government within sixty days from the date of such discovery.

(2) Where a mining lease has been granted in respect of a minor mineral, the holder of such lease may submit an application to the State Government seeking inclusion of the minerals specified in Part A of the First Schedule to Act in the lease and the State Government shall, upon being satisfied that the conditions specified in sub-rule (3) have been fulfilled, permit such inclusion within sixty days from the date of receipt of the duly completed application.

(3) No such inclusion in the lease shall be granted by the State Government, unless it is satisfied that—

- (a) the prospecting operations in respect of the minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act have been carried out over the entire area under the mining lease in the manner specified in the Act and these rules;
- (b) a geological report in respect of such mineral has been prepared and approved in the manner specified in the Act and these rules; and

(c) a mining plan in respect of such mineral has been prepared and approved in the manner specified in the Act and these rules.

(4) The State Government may, for the purpose of considering any application under sub-rule (2), require the applicant to furnish such information, documents or clarifications as it may deem necessary.

(5) The State Government shall, upon receipt of the application under sub-rule (2), together with the geological report and the mining plan referred to in sub-rule (3), consult the Central Government, in respect of—

- (a) the extent of area in which the presence of mineral other than minor mineral has been established;
- (b) the type of mineral established in such area;
- (c) the quantity and grade of the mineral specified under Part A of the First Schedule of the Act;
- (d) the quantity and quality of minor mineral specified in the lease;
- (e) the value of estimated resources for the minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act;
- (f) the estimated value of resources of the minor mineral, as determined in accordance with the rules made by the State Government under section 15 of the Act.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (8), where the extent, quantity or estimated value of the minerals specified under Part A of the First Schedule of the Act exceeds twenty-five per cent. of the minor minerals present in the leased area, the State Government shall, on the basis of consultation with the Central Government, after providing the holder of the lease an opportunity of being heard, terminate such lease within thirty days from the date of issue of the allocation letter to the successful allocatee under sub-rule (7) :

Provided that where the lease has been terminated under this sub-rule, the holder of such lease shall be entitled to receive such amount of compensation and within such timelines as decided by the State Government, from the successful allocatee of the allocation carried out under sub-rule (7) in accordance with the following conditions, namely—

- (a) the amount of compensation for the land shall be determined on the basis of the registered deeds of sale or acquisition submitted to the State Government, together with simple interest at the rate of twelve per cent. from the date of such purchase or acquisition until the date of the execution of the allocation order or on the basis of the market value of the land, whichever is higher;
- (b) the amount of compensation for the mine infrastructure, including tangible assets used for mining operations, such as civil works, workshops, immovable mineral winning equipment, foundations, embankments, pavements, electrical systems, communication systems, relief centres, site administrative offices, fixed installations, mineral handling arrangements, crushing and conveying systems, railway sidings, pits, shafts, inclines, underground transport systems, hauling systems (except movable equipment unless the same is embedded in land for permanent beneficial enjoyment thereof), land demarcated for afforestation and land for rehabilitation and resettlement of persons affected by mining operations under any law for the time being in force, shall be determined on the basis of written down value as reflected in the audited balance sheet of the previous financial year.

(7) The Central Government shall reallocate the area covered under a lease terminated under sub-rule (6), for the grant of a mineral concession in respect of the minerals specified in Part A of the First Schedule to the Act and may, for the purposes of such allocation, include any additional area or reduce the area so allocated.

(8) Where the extent, quantity or estimated value of resources of the minerals specified in Part A of the First Schedule to the Act is twenty-five per cent. or less in comparison to the minor minerals present in the leased area, the State Government shall, subject to compliance with sub-rules (3) and (5), communicate its decision through an order for inclusion of such minerals within sixty days from the date of receipt of duly completed application.

(9) Where the applicant fails to comply with the conditions specified in sub-rule (3), the State Government shall, after providing the applicant an opportunity of being heard and upon recording its reasons in writing, communicate to the applicant by order, its refusal to include any other mineral in the lease.

(10) The holder of a mining lease in which any mineral has been included under this rule shall,—

- (a) maintain accounts separately, showing the quantity and other particulars for mining lease area including—
 - (i) all minerals obtained and dispatched therefrom including the minerals included;
 - (ii) waste material excavated from such area;
 - (iii) the number of persons employed and their nationality; and
 - (iv) complete plans of the mine;

- (b) comply with the provisions of the Colliery Control Rules, 2004; and
- (c) comply with the terms and conditions specified in these rules, in addition to such terms and conditions as specified or may be specified by the State Government in respect of the minor mineral.

(11) Where any mineral specified in Part A of the First Schedule to the Act is included in a mining lease originally granted in respect of a minor mineral, the lessee shall upon dispatch of the included mineral, pay such additional amount as specified in the Eighth Schedule to the Act:

Provided that where the lease in respect of the minor mineral was granted through an auction conducted by the State Government and the auction premium quoted was not based on the value of mineral dispatched, the lessee shall, *in lieu* of such additional amount, pay an amount equivalent to the royalty payable on the mineral so included under this rule.

(12) The provisions of this rule shall apply only to land in which the minerals vest in the Government.”.

[F. No. PS1/1/2026-PS1]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1398, dated the 26th November, 1960 and lastly amended *vide* number G.S.R. 323(E), dated the 20th May, 2025.